न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित–।। अम्बेडकरनगर।
सिविल अपील सं0–18/2014
सी.एन.आर.नं0–यूपीएएन010017832014
रामचेत–बनाम–राम खेलावन आदि

20.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 34क इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्युत्तरदाता सं0–1 राम खेलावन की मृत्यु दौरान मुकदमा दिनांक–18.05.2014 को हो गयी है। मृतक राम खेलावन के जायज वारिसान व कायम मुकामान उनके लड़के जगमोहन, बृज मोहन, लाले व दिनेश तथा लड़की गुड्डी देवी व विधवा शोभी देवी है, मृतक राम खेलावन के दो लड़के बृज मोहन व जगमोहन पहले से पक्षकार मुकदमा हैं शेष अन्य लड़को व लड़की तथा विधवा उपरोक्त को मृतक का कायम मुकामान बनाकर मेमो आफ अपील में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की याचना की गयी है।

विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। प्रस्तावित वारिसान पर तामीला पर्याप्त है। वांछित संशोधन वाद के सम्यक संचालन के लिए आवश्यक है। प्रार्थनापत्र परिसीमा अवधि के भीतर है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 34क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 34क स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अन्दर 7 दिन करें। पत्रावली दिनांक–06.03.2020 को निस्तारण हेतु पेश हो।

अपर जिला जज,त्वरित द्वितीय
अम्बेडकरनगर

दिनांक–20.02.2020